न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 134/12/दावा

1. सुखदेवा राम आयु 72 साल
2. रामशरण आयु 69 साल
3. गिरधारी लाल आयु 58 साल

पुत्रगण श्री दुलाराम समस्त जाति मीणा निवासीगण भोरड़ोंका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

बनाम

1. प्रभात कुमार पिता स्व. दुलाराम आयु 65 साल जाति मीणा निवासी भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री शिवपालसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 14.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 245 रकबा 3.45 है. 249 रकबा 1.48 है0, 252 रकबा 2.64 है0, 253 रकबा 2.81 है0, 253/563 रकबा 1.40 है0., 254 रकबा 1.11 है0, 255 रकबा 1.90 है0, 256 रकबा 1.17 है0, 257 रकबा 0.49 है0 एवं 244 रकबा 2.04 है0 किता 10 कुल रकबा 18.49 है0 वाके ग्राम भोरड़ों का बास प.मं. मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की वंशावली इस प्रकार से है:—

दूलाराम (फौत)

↓

सुखदेवा राम (वादी सं. 1) रामशरण (वादी सं. 2) प्रभात कुमार (प्रति. सं. 1) गिरधारीलाल (वादी सं. 3)

दावे की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों में हिस्सा 1/4 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. दुलाराम का था जो कि मृतक दुलाराम का कब्जे, काश्त व खातेदारी शुदा था। उक्त दुलाराम की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी सं. 1 ने कतई गलत व जालसाजी तरीके से उक्त हिस्सा 1/4 का ना.करण अपने नाम से खुलवा लिया जबकि वादी भी प्रतिवादी सं. 1 के समान ही हिस्सेदार है तथा मृतक खातेदार दुलाराम के वारिस व उतराधिकारी है। इसलिए वादीगण का उपरोक्त वर्णित भूमियों में से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से प्रत्येक का 1/4 हक व हिस्सा है एवं वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार भी है परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में खातेदारी उक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम से ही है जिसकी खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। अगर प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त शामलाती कब्जे काश्तशुदा भूमियों को अपनी खातेदारी की आड़ में वर्णित विवादित संपदा का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान व हस्तांतरण कर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर विवादित भूमियों की मौका स्थिति में परिवर्तन करने में कामयाब हो गया तो इस कदर वादीगण को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। विवादित संपदा की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को प्रत्येक को 1/4 में से 1/4 अर्थात् संपूर्ण भूमि में से 1/16, 1/16, 1/16, 1/16 हक व हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना व खातेदारी की उद्घोषणा होने तक वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वाद कारण दिनांक 30.06.2012 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने नाम से खातेदारी शुदा भूमि का हस्तांतरण किसी दीगर व्यक्ति को करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। उपरोक्त भूमि के अन्य सह खातेदार काश्तकारों से प्रार्थी/वादीगण का कोई विवाद नहीं है तथा न ही उनसे कोई रिलीफ चाही है इसलिए उनको पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही हे कि वाद वादीगणा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें। वाद की मद सं. 1 में वर्णित विवादित भूमियो में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 को बराबर बराबर एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें अर्थात उपरोक्त वर्णित संपूर्ण भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को प्रत्येक को 1/16, 1/16 हक व हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी अपने नाम की 1/4 हिस्से की खातेदारी की आड़ में विवादित संपदा को रहन, बेचान एवं हस्तांतरण करने, खुर्द बुर्द करने व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तलन करने से मय अपने परिजन बाज रहे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से दिलाया जावें। वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 103 वाके ग्राम भोरड़ों का बास प.मं. मेई तहसील दांतारामगढ की पेश की गई।

2. वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री शिवपालसिंह हाजिर हुए। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।
3. बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की गई।

हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2067–70 वाके ग्राम भोरड़ों का बास प.मं. मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नं. 244, 245, 249, 252, 253, 253/563, 254 ता 257 किता 10 कुल रकबा 18.49 है. में प्रतिवादीसं. 1 की खातेदारी 1/4 हि. दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी के अतिरिक्त पैत्रिक संपति होने के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये जिससे यह साबित हो कि

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

विवादित आराजियात पैत्रिक संपदा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजियात 1/4 में से प्रत्येक 1/4 हिस्से यानि संपूर्ण आराजियात में से 1/16, 1/16 हिस्से की उद्घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के हक में की जावें। चूंकि विवादित आराजियात को पैत्रिक साबित करने में वादीगण सफल नहीं हुए है इसलिए स्टाम्प शुल्क देय है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाता है एवं विवादित आराजियात खसरा नं. 244, 245, 249, 252, 253, 253/563, 254 ता 257 किता 10 कुल रकबा 18.49 है.वाके ग्राम भोरड़ों का बास प.मं. मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से हि. 1/4 प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर हिस्सा 1/4 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/16, 1/16 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। पर्चा डिक्री जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

4. यह आदेश आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

सुखदेवा राम आदि बनाम प्रभात कुमार आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 134/दावा/2012 निर्णय दिनांक 14.03.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील मिनजानिब मुद्दई शिवपालसिंह मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिकी किया जाता है एवं विवादित आराजियात खसरा नं. 244, 245, 249, 252, 253, 253/563, 254 ता 257 किता 10 कुल रकबा 18.49 है.वाके ग्राम भोरड़ों का बास प.मं. मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से हि. 1/4 प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर हिस्सा 1/4 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/16, 1/16 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 मार्च, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	8	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 134 / 12 / दावा

1. सुखदेवा राम आयु 72 साल
2. रामशरण आयु 69 साल
3. गिरधारी लाल आयु 58 साल

पुत्रगण श्री दुलाराम समस्त जाति मीणा निवासीगण भोरड़ोंका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

बनाम

1. प्रभात कुमार पिता स्व. दुलाराम आयु 65 साल जाति मीणा निवासी भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री शिवपालसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 14.03.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner